



जनपद गाजियाबाद

प्रेस नोट

दिनांक 31-8-22

(एन्टी नारकोटिक्स सैल अपराध शाखा गाजियाबाद व थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा अवैध गांजा बेचने वाले अभियुक्त को मय 2 किलो नाजायज गांजा सहित गिरफ्तार किया गया)

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन मे व पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के कुशल नेतृत्व मे व क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के कुशल पर्यवेक्षण मे अपराध व अपराधियो तथा नशीले पदार्थ की बरामदगी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान एन्टी नारकोटिक्स सैल व थाना इन्दिरापुरम पुलिस को उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान वसुन्धरा चोकी बैरियर के पास से अभियुक्त अली उर्फ जफ्फू को मय 2 कि0 नाजायज गांजे सहित गिरफ्तार किया गया है तथा थाना इन्दिरापुरम पर अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0स0 1097/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

अली उर्फ जफ्फू पुत्र शौकीन निवासी बस अड्डे के पास दातागंज थाना दातागंज जनपद बदायूं हाल पता श्मशान घाट के पास झुग्गी इन्दिरापुरम थाना इन्दिरापुरम जनपद गाजियाबाद **अपराधिक इतिहास अभियुक्त अली उर्फ जफ्फू**

- 1- मु0अ0स0 1097/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना इन्दिरापुरम गा0बाद **बरामदगी का विवरण**

2 कि0 ग्रा0 नाजायज गांजा

गिरफ्तारी/ सहयोग करने वाली पुलिस टीम-

- 1- प्रभारी निरीक्षक देवपाल सिंह पुन्डीर
- 2- निरीक्षक सौरभ शुक्ला प्रभारी एंटी नारकोटिक्स सेल अपराध शाखा जनपद गाजियाबाद
- 3- हे0का0748 सचिन मलिक एंटी नारकोटिक्स सेल अपराध शाखा जनपद गाजियाबाद
- 4- हे0का0 1367 संदीप कुमार एंटी नारकोटिक्स सेल अपराध शाखा जनपद गाजियाबाद
- 5- का0 2203 सुमित कुमार एंटी नारकोटिक्स सेल अपराध शाखा जनपद गाजियाबाद
- 6- का01550 नितिन कुमार एंटी नारकोटिक्स सेल अपराध शाखा जनपद गाजियाबाद

(थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा अवैध गांजा बेचने वाले 2 अभियुक्तो को मय 850 ग्राम नाजायज गांजा सहित गिरफ्तार किया गया)

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन मे व पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के कुशल नेतृत्व मे व क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के कुशल पर्यवेक्षण मे अपराध व अपराधियो तथा नशीले पदार्थ की बरामदगी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान थाना इन्दिरापुरम पुलिस को उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान दिनांक 30.8.22 को ग्रीन वैली पार्क के गेट के पास से 02 अभियुक्त मोहित पुत्र राहुल व नदीम पुत्र राजवाली को मय 850 ग्राम नाजायज गांजे सहित गिरफ्तार किया गया है तथा थाना इन्दिरापुरम पर अभियुक्त मोहित के विरुद्ध मु0अ0स0 1105/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट तथा अभियुक्त नदीम के विरुद्ध 1106/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 2- मोहित पुत्र राहुल निवासी HN 665 B न्याय खंड इंदिरापुरम जिला गाजियाबाद मूल पता राहुल विहार 25 फुटा गली 1 न022 थाना विजयनगर गाजियाबाद
- 3- नदीम पुत्र राजवली निवासी शिव मन्दिर के सामने वाली गली ग्राम मकनपुर अपराधिक इतिहास अभियुक्त मोहित पुत्र राहुल

- 1- मु0अ0स0 1105/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना इन्दिरापुरम गा0बाद
- 2- मु0अ0स0 2108/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना इन्दिरापुरम गा0बाद
- 3- मु0अ0स0 659/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना इन्दिरापुरम गा0बाद

अपराधिक इतिहास अभियुक्त नदीम

- 1- मु0अ0स0 1106/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद
- 2- मु0अ0स0 2107/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण

850 ग्रा0 नाजायज गांजा

गिरफ्तारी/ सहयोग करने वाली पुलिस टीम-

- 7- प्रभारी निरीक्षक देवपाल सिंह पुन्डीर
- 8- उ0नि0 अर्जुन सिंह
- 9- है0का0 486 प्रेमचन्द
- 10- रि0का0 801 बब्लू
- 11- चीता व का0 2598 114मंयक दीक्षित
- 12- हो0गा0 1427 मिन्दू

थाना लोनी बोर्डर पुलिस व आबकारी टीम के द्वारा 03 नफर अभियुक्तगण को बरामदगी 48अध्धे मैकडावल नं. 1(अंग्रेजी शराब नाजायज) ,12 बोतल इम्पीरियल ब्लूअंग्रेजी शराब नाजायज (गैर प्रान्त), व दो अदद मोटरसाइकिल अन्तर्गत धारा 60/63/72आबकारी अधिनियम के तहत किया गिरफ्तार ।

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री मुनीराज जी0 के कुशल निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय जनपद गाजियाबाद व थानाध्यक्ष थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में थाना लोनी बार्डर की पुलिस टीम द्वारा आबकारी टीम के साथ चैकिंग के दौरान दिनांक 31.08.2022 को लोनी बस डिपो बेरियर के सामने दिल्ली साहरनपुर रोड से चैकिंग के दौरान 03 नफर अभियुक्तगण 1. मोहित पुत्र हरिदास निवासी बी-50 गली नं. 03 माता वाली गली जौहरीपुर थाना गोकलपुरी दिल्ली 2. पंकज पुत्र वीरपाल सिंह निवासी बी-50 गली नं. 03 माता वाली गली जौहरीपुर थाना गोकलपुरी दिल्ली हुलियाँ आँख,नाक,कान,कद औसत उम्र करीब 31 वर्ष 3. वीरेन्द्र कुमार पुत्र कृष्णपाल निवासी अम्बेडकर कालोनी बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद के कब्जे से क्रमशः 48अध्धे मैकडावल नं. 1(अंग्रेजी शराब नाजायज) ,12 बोतल इम्पीरियल ब्लूअंग्रेजी शराब नाजायज (गैर प्रान्त), व घटना में प्रयुक्त दो अदद मोटरसाइकिल के साथ किया गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

1. मोहित पुत्र हरिदास निवासी बी-50 गली नं. 03 माता वाली गली जौहरीपुर थाना गोकलपुरी दिल्ली उम्र करीब 32 वर्ष
2. पंकज पुत्र वीरपाल सिंह निवासी बी-50 गली नं. 03 माता वाली गली जौहरीपुर थाना गोकलपुरी दिल्ली उम्र करीब 31 वर्ष
3. वीरेन्द्र कुमार पुत्र कृष्णपाल निवासी अम्बेडकर कालोनी बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष

अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण-

1. अभियुक्त मोहित व पंकज से 48 अर्धे मैकडावल न0 1 अग्रेजी शराब दिल्ली मार्का व घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटरसाइकिल जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर DL 3SCH 3195 बजाज पल्सर 135 रंग लाल

2. अभि0 बीरिन्द्र के कब्जे से बरामद एक पेटी 12 बोतल इम्पीरियल ब्लू अग्रेजी शराब नाजायज (दिल्ली मार्का) व घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटरसाइकिल जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर UP 14CU 0431 होंडा शाइन रंग काला

अभियुक्तगण का अपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0स0 646/22 धारा 60/63/72 ex.act थाना लोनी बार्डर गा0बाद बनाम अभि0 मोहित व पंकज उपरोक्त ।

2. मु0अ0स0 647/22 धारा 60/63/72 ex.act थाना लोनी बार्डर गा0बाद बनाम अभि0 बीरिन्द्र उपरोक्त ।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. उ0नि0 श्री विशाल सिंह थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद ।

2. उ0नि0 श्री करनवीर सिंह थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद

2. आबकारी निरीक्षक सेक्टर-3 श्री त्रिवेणी प्रसाद मौर्य हमराही प्रधान आबकारी सिपाही अलीशेर , आबकारी सिपाही विकल यादव व आबकारी सिपाही ताहिर हुसैन

थाना इन्दिरापुरम पुलिस ने अवैध गांजा बेचने वाले अभियुक्त को 450 ग्राम नाजायज गांजा सहित गिरफ्तार किया

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन मे व पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के कुशल नेतृत्व मे व क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के कुशल पर्यवेक्षण मे अपराध व अपराधियो तथा नशीले पदार्थ की बरामदगी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान थाना इन्दिरापुरम पुलिस को उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान वैशाली मेन रोड वसुन्धरा सै0 12/14 कट के पास से अभियुक्त गोलू को मय 450 ग्राम नाजायज गांजे सहित गिरफ्तार किया गया है तथा थाना इन्दिरापुरम पर अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0स0 1104/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

गोलू पुत्र बबनलाल निवासी ग्राम बलवानिया थाना भिया जिला भोजपुर बिहार हाल निवासी सेक्टर ए वसुन्धरा हनुमान मंदिर पीछे 16 झूगी झोपडी थाना इन्द्रापुरम जनपद गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष

अपराधिक इतिहास अभियुक्त गोलू पुत्र बबनलाल

मु0अ0स0 1104/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना इन्दिरापुरम गा0बाद

बरामदगी का विवरण

450 ग्राम नाजायज गांजा

गिरफ्तारी/ सहयोग करने वाली पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक देवपाल सिंह पुन्डीर

उ0नि0 दीपक कुमार

कां राहुल चौधरी 906 0

कां नीशू 1906 0

थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा अवैध गांजा बेचने वाले अभियुक्त को मय 200 ग्राम नाजायज गांजा सहित गिरफ्तार किया गया)

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन मे व पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के कुशल नेतृत्व मे व क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के कुशल पर्यवेक्षण मे अपराध व अपराधियो तथा नशीले पदार्थ की बरामदगी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान थाना इन्दिरापुरम पुलिस को उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा चैकिंग के

दौरान दिनांक 30.8.22 कनावनी पुलिस के पास से अभियुक्त नूर आलम को मय 200 ग्राम नाजायज गाजें सहित गिरफ्तार किया गया है तथा थाना इन्दिरापुरम पर अभियुक्त नूर आलम के विरुद्ध मु0अ0स0 1107/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

नूर आलम पुत्र मौहम्मद निवासी क्वाविटा थाना पोस्ट ठाकुरगंज जिला किशन गंज विहार हाल निवासी झुग्गी झोपडी शक्ति खन्ड-4 थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद उम्रवर्ष 24

अपराधिक इतिहास अभियुक्त नूर आलम

मु0अ0स0 1107/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना इन्दिरापुरम गा0बाद

बरामदगी का विवरण

200 ग्रा0 नाजायज गांजा

गिरफ्तारी/ सहयोग करने वाली पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक देवपाल सिंह पुन्डीर

उ0नि0 रविन्द्र कुमार

उ0नि0 सन्नी

है0क 1341 कुशल यादव

का0 782 नीरज कुमार

गौवध में वांछित अभियुक्त मय चाकू के गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय गाजियाबाद द्वारा वांछित अपराधियों की धरपकड हेतू चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी मोदीनगर महोदय के कुशल नेतृत्व मे व0उ0नि0 / थानाध्यक्ष भोजपुर के कुशल पर्यवेक्षण मे थाना भोजपुर पुलिस द्वारा गौवध अधि0 सम्बन्धित मु0अ0सं0 258/22 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 में वांछित अभियुक्त आस मौहम्मद पुत्र शरीफ निवासी ग्राम किन्हापुर थाना भोजपुर गाजियाबाद को दिनांक 31.08.22 को अबलपुर बम्बा के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

आस मौहम्मद पुत्र शरीफ निवासी ग्राम किन्हापुर थाना भोजपुर गाजियाबाद

अभियोग का विवरण: -

1. मु0अ0सं0 258/22 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना भोजपुर गा0बाद,
2. मु0अ0सं0 294/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना भोजपुर गा0बाद,
3. मु0अ0सं0 295/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना भोजपुर गा0बाद,

बरामदगी का विवरण:-

दो अदद चाकू नाजायज व गौवध के उपकरण- रस्सी, कुल्हाडी आदि

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 कपिल कुमार, थाना भोजपुर, गाजियाबाद,
2. उ0नि0 श्रीनिवास गौतम, थाना भोजपुर, गाजियाबाद,
3. उ0नि0 अनुज कुमार, थाना भोजपुर, गाजियाबाद,
4. हे0कां0 406 राजेन्द्र कसाना थाना भोजपुर गा0बाद,
5. कां0 3873 विवेक कुमार थाना भोजपुर गा0बाद

बरामद ।

कार्यवाही:- कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद की टीम द्वारा दिनांक: 30.08.2022 समय 16.30 बजे बुद्धा पार्क सै02 राजेन्द्र नगर रोड थाना साहिबाबाद गाजियाबाद से अभियुक्तगण 1. इरफान पुत्र जमाशेर निवासी म0नं0 128 गली नं0 2 पप्पू कालोनी थाना साहबाबाद गाजियाबाद उम्र 40 वर्ष 2.मुकीम पुत्र ईफाज निवासी म0नं0 जे-191 गरिमा गार्डन थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष 3. नबाब दुले पुत्र रियासत निवासी किरायेदार अनीस का मकान गली नं0 02 पप्पू कालोनी थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 42 वर्ष स्थाई पता ग्राम उतरई थाना अलापुर जिला बदायू 4. आमिर पुत्र दिलशाद निवासी गली नं0 2 पप्पू कालोनी थाना सादिबाबाद गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष मय रु0 16,165/- एवं 52 ताश के पत्ते के साथ गिरफ्तार किया गया ।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त गण उपरोक्त को जुआ खेलते हुए मौके मौके पर पकड़े जाना तथा जिनके कब्जे से रु0 16,165/- एवं 52 ताश के पत्ते तथा पूछताछ मे बताया कि साहब हम लोग जुआ खेलते है तथा पैसे जीतकर खर्चा चलाते है। जिसके संबंध मे थाना साहिबाबाद पर मु0अ0स0 1385/22 धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनिय पंजीकृत किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. इरफान पुत्र जमाशेर निवासी म0नं0 128 गली नं0 2 पप्पू कालोनी थाना साहबाबाद गाजियाबाद उम्र 40 वर्ष
2. मुकीम पुत्र ईफाज निवासी म0नं0 जे-191 गरिमा गार्डन थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष
3. नबाब दुले पुत्र रियासत निवासी किरायेदार अनीस का मकान गली नं0 02 पप्पू कालोनी थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 42 वर्ष स्थाई पता ग्राम उतरई थाना अलापुर जिला बदायू
4. आमिर पुत्र दिलशाद निवासी गली नं0 2 पप्पू कालोनी थाना सादिबाबाद गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास

मु0अ0स0 1385/22 धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनिय बनाम इरफान, मुकीम, नबाब, आमिर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- उ0नि0 सुरेश चन्द्र शर्मा
है0का0 349 मकसूद खाँ
है0का0 1701 जयप्रकाश
है0का0 178 अमित कुमार

बरामदगी का विवरण

रु0 16,165/- एवं 52 ताश के पत्ते



थाना लोनी पुलिस द्वारा अवैध शराब की बिक्री करने वाला 02 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 08 बोतल व 16 पक्वे देशी

शराब दिल्ली मार्का बरामद ।

श्री मुनिराज जी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा अवैध शराब की बिक्री करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गाजियाबाद एवं क्षेत्राधिकारी लोनी के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा दो शातिर अभियुक्तगण 1. फरद पुत्र सलाउद्दीन निवासी अल्फला मस्जिद के सामने रामेश्वर पार्क थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद को 8 बोतल देशी शराब सहित व 2. सुभान पुत्र असलम निवासी नूरइलाही रामेश्वर पार्क थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद 16 पक्वे देशी शराब नाजायज दिल्ली मार्का सहित बलराम नगर कट लोनी इंटर कालेज के सामने चौकी क्षेत्र डाबर तालाब क्षेत्र से दिनांक 30.08.2022 को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. फरद पुत्र सलाउद्दीन निवासी अल्फला मस्जिद के सामने रामेश्वर पार्क थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद उम्र 20 वर्ष ।

2. सुभान पुत्र असलम निवासी नूरइलाही रामेश्वर पार्क थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद उम्र 24 वर्ष ।

अभियोग का विवरण:-

1. मु0अ0सं0 1015/2022 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना लोनी गाजियाबाद बनाम फरद उपरोक्त,

2. मु0अ0सं0 1016/2022 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना लोनी गाजियाबाद बनाम सुभान उपरोक्त,

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. निरीक्षक श्री विजयकान्त मिश्रा थाना लोनी जनपद गाजियाबाद
2. उ0नि0 श्री अमित शर्मा चौकी प्रभारी डाबर तालाब थाना लोनी गा0बाद
3. का0 1870 सचिन कुमार,
4. का0 678 शैलेन्द्र सिंह,
5. का0 1287 राजू सिंह

बरामदगी का विवरण:-

1. अभियुक्त फरद उपरोक्त से 8 बोतल गुलाब मसालेदार देशी शराब दिल्ली मार्का नाजायज दिल्ली मार्का

2. अभियुक्त सुभान उपरोक्त से 16 पक्वे गुलाब मसालेदार देशी शराब दिल्ली मार्का नाजायज दिल्ली मार्का नाजायज बरामद,

थाना टीलामोड़ की पुलिस द्वारा अवैध नशे का कारोबार करने वाली एक महिला अभियुक्ता को कुल 4.470

ग्राम स्मैक (कुल 10 पुडिया) व कुल 1200 नशीली गोलिया नाजायज सहित गिरफ्तार किया ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय के निर्देशन में श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक महिला अभियुक्ता को कुल 40470 ग्राम स्मैक (कुल 10 पुडिया) व कुल 1200 नशीली गोलिया सहित गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 31-8-22 को प्रात में 7.40 बजे भोपुरा लाल गेट के पास खाली पडे मैदान में गस्त के दौरान एक महिला अभियुक्ता सोनिया पत्नी अशोक कुमार निवासी 8/20 बी कस्तूरबा नगर शहादरा थाना शाहदरा दिल्ली को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से कुल 4.470 ग्राम स्मैक (कुल 10 पुडिया) व कुल 1200 नशीली गोलिया बरामद हुई । जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 428/22 धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट बनाम सोनिया का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्ता:-

1- सोनिया पत्नी अशोक कुमार निवासी 8/20 बी कस्तूरबा नगर शहादरा थाना शाहदरा दिल्ली

बरामदगी का विवरण –

कुल 4.470 ग्राम स्मैक (कुल 10 पुडिया) व कुल 1200 नशीली गोलिया

अपराधिक इतिहास अभियुक्त

1- मु0अ0सं0 428/22 धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना टीलामोड गाजियाबाद अभि0 के अन्य आपराधिक इतिहास को ज्ञात किया जा रहा है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0श्री नि0 श्री प्रवीन मलिक थाना टीला मोड गा0बाद
2. हे0का0 1679 दिनेश कुमार थाना टीला मोड गा0बाद
3. का0 2836 उदेशपाल थाना टीला मोड गा0बाद
4. म0का0 209 मोनिका , थाना टीला मोड गा0बाद

थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा दिनांक 30.08.2022 को थाना क्षेत्र मे 01 नफर अभियुक्ता को मय अवैध मादक पदार्थ (1 किलो 400 ग्राम गांजा) के गिरफ्तार ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराधियों की धरपकड हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के नेतृत्व में थाना नन्दग्राम पुलिस व श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय की संयुक्त सघन चैकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर 01 नफर अभियुक्ता श्रीमती विमला उर्फ पंडितानी पत्नी ओमप्रकाश राजपूत निवासी म0न0 20 गली नं 1, 30 फुटा रोड दीन दयालपुरी थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र 45 वर्ष को मय 01 किलो 400 ग्राम अवैध मादक पदार्थ (गांजा) के पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया ।

संक्षिप्त विवरण:- अभियुक्ता ने पूछताछ मे बताया कि साहब यह गांजा नन्दनगरी दिल्ली से खरीदकर लाते है तथा यहाँ पर पुडिया बनाकर रास्ते में आने जाने वाले लोगो को उचित दाम में बेचकर मुनाफा कमाती हूँ तथा अपने परिवार का भरण पोषण करती हूँ



बरामदगी का विवरण:-

01 किलो 400 ग्राम गांजा नाजायज बरामद

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

श्रीमती विमला उर्फ पंडितानी पत्नी ओमप्रकाश राजपूत निवासी म0न0 20 गली नं 1, 30 फुटा रोड दीन दयालपुरी थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र 45 वर्ष

अभियुक्ता विमला का आपराधिक इतिहास:-

- ✚ मु0अ0स0- 981/17 धारा 60/63 एक्स0 एक्ट थाना सिहानी गेट
- ✚ मु0अ0स0- 43/18 धारा 15/18 एनडीपीएस एक्ट थाना सिहानी गेट
- ✚ मु0अ0स0 541/20 धारा 60/63 एक्स0 एक्ट थाना थाना सिहानी गेट
- ✚ मु0अ0स0 77/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना नन्दग्राम
- ✚ मु0अ0स0- 829/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना नन्दग्राम

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. श्रीमान प्रभारी निरीक्षक रमेश सिंह सिद्धू
2. उ0नि0 श्री दाराचन्द
3. है0का0 नाहर सिंह
4. का0 सत्येन्द्र सिंह
5. का0 कुंवरपाल
6. का0 अजय चौहान
7. म0का0 आंचल

थाना लिंकरोड जनपद गाजियाबाद पुलिस द्वारा 06 शातिर अभियुक्त मय नाजायज शराब , गांजा व नशीला पाउडर / गोली एल्प्रोजोलम के साथ गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित अपराधियों व तस्करो एवं शराब / मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ट्रांस हिण्डन महोदय के निर्देशन में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी साहिबाबाद महोदय के सफल पर्यवेक्षण में दिनांक 30.08.2022 को थाना लिंक रोड़ पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान अभियुक्तगण 1. हरदेश पुत्र रामदीन नि0 जखोलिया थाना वजीर गंज जिला बदायूँ हाल निवासी गली न0 2 भोवापुर थाना कौशाम्बी गा0बाद को 27 पोच्चे देशी शराब हरियाणा मार्का रशीला संतरा नाजायज के साथ साहिबाबाद सब्जी मण्डी गेट न0 2 से व 2. राजू पुत्र इस्लाम नि0 म0 न0बी 44शहीद नगरनिकट जयपाल चौक थाना साहिबाबाद गा0बाद को 26 पोच्चे देशी शराब हरियाणा मार्का रशीला संतरा नाजायज के साथ एल्पस कम्पनी के पास से व 3. रानू दास पुत्र रतन दास निवासी डी- 14 ग्राउन्ड फ्लोर बृजबिहार थाना लिंकरोड जनपद गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम रानीपुर थाना ईटाहार जनपद उत्तार दिनाजपुर पं0 बंगाल को 375 नशीली गोली एल्प्रोजोलम के साथ रेलवे लाइन के किनारे कडकड फाटक के पास से व 4. अफरोज पुत्र मो0 भोला निवासी ग्राम सिमरी बख्तियारपुर थाना सलखवा जिला सहरसा हाल निवासी खोडा कालौनी थाना खौडा गाजियाबाद को 60 ग्राम नशीला पाउडर एल्प्रोजोलम के साथ व 5- अभिषेक पुत्र अजीत कुमार निवासी म0न0 650 एफ ब्लॉक सै0-3 वैशाली थाना कौशाम्बी गाजियाबाद को 65 ग्राम नशीला पाउडर एल्प्रोजोलम के साथ यदु गैस एजेन्सी के पास से व 6- अल्ला बक्स पुत्र नसरुद्दीन निवासी बडी मस्जिद के पास ग्राम महाराजपुर थाना लिंकरोड गाजियाबाद को अवैध 500 ग्राम गांजा के साथ भरतद्वारा कट के पास से गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. हरदेश पुत्र रामदीन नि0 जखोलिया थाना वजीर गंज जिला बदायूँ हाल निवासी गली न0 2 भोवापुर थाना कौशाम्बी गा0बाद ।
2. राजू पुत्र इस्लाम नि0 म0 न0बी 44शहीद नगरनिकट जयपाल चौक थाना साहिबाबाद गा0बाद
3. रानू दास पुत्र रतन दास निवासी डी- 14 ग्राउन्ड फ्लोर बृजबिहार थाना लिंकरोड जनपद गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम रानीपुर थाना ईटाहार जनपद उत्तार दिनाजपुर पं0 बंगाल
4. अफरोज पुत्र मो0 भोला निवासी ग्राम सिमरी बख्तियारपुर थाना सलखवा जिला सहरसा हाल निवासी खोडा कालौनी थाना खौडा गाजियाबाद
5. अभिषेक पुत्र अजीत कुमार निवासी म0न0 650 एफ ब्लॉक सै0-3 वैशाली थाना कौशाम्बी गाजियाबाद
6. अल्ला बक्स पुत्र नसरुद्दीन निवासी बडी मस्जिद के पास ग्राम महाराजपुर थाना लिंकरोड गाजियाबाद

गिरफ्तारी घटनास्थल

थाना लिंकरोड क्षेत्र उपरोक्त

दिनांक घटना 30.08.2022 से 31.08.2022 समय 15.55 बजे से 01.10 AM तक

बरामदगी का विवरण –

1. 27 पोच्चे देशी शराब हरियाणा मार्का रशीला संतरा (हरदेश)
2. 26 पोच्चे देशी शराब हरियाणा मार्का रशीला संतरा (राजू)
3. 375 नशीली गोली एल्प्रोजोलम (रानू दास)
4. 60 ग्राम नशीला पाउडर एल्प्रोजोलम (अफरोज)
5. 65 ग्राम नशीला पाउडर एल्प्रोजोलम (अभिषेक)
6. 500 ग्राम गांजा (अल्ला बक्स)

आपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग का विवरण –

1. मु0अ0स0 0304/022 धारा 60/63 आब0 अधि0 थाना लिंकरोड गाजियाबाद बनाम हरदेश
2. मु0अ0स0 0305/22 धारा 60/63 आब0 अधि0 थाना लिंकरोड गा0बाद बनाम राजू

3. मु0अ0स0 0306/22 धारा 8/22 NDPS.ACT थाना लिंकरोड गा0बाद बनाम रानू दास
4. मु0अ0स0 0307/22 धारा 8/21 NDPS.ACT थाना लिंकरोड गा0बाद बनाम अफरोज
5. मु0अ0स0 0308/22 धारा 8/21 NDPS.ACT थाना लिंकरोड गा0बाद बनाम अभिषेक
6. मु0अ0स0 0310/22 धारा 8/20 NDPS.ACT थाना लिंकरोड गा0बाद बनाम अल्ला बक्स

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम-

निरीक्षक श्री त्रिभुव सिंह हयांकी आबकारी
उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार चौकी प्र0 बृजविहार थाना लिंकरोड
उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार चौकी प्र0 रेलवे रोड थाना लिंकरोड
उ0नि0 श्री अंकित तरार चौकी प्र0 औ0क्षेत्र थाना लिंकरोड
उ0नि0 श्री मुनेश कुमार थाना लिंकरोड
है0का0 दीपक चौहान आबकारी
है0का0 मनोज शर्मा थाना लिंकरोड
है0का0 महेश कुमार थाना लिंकरोड
है0का0 धीरेन्द्र शर्मा थाना लिंकरोड
का0 अन्जेश कुमार थाना लिंकरोड
का0 नितेश कुमार थाना लिंकरोड

थाना कविनगर द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया कब्जे से 190 ग्राम नशीला पाउडर (एल्प्रोजोलम) नाजायज बरामद

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर, श्रीमान क्षेत्राधिकारी कविनगर के कुशल निर्देशन में गठित टीम द्वारा दिनांक 31.08.2022 को समय 13.10 बजे अवन्तिका एलिगेन्स तिराहे के पास थाना कविनगर क्षेत्र से चैकिंग के दौरान रामनिवास पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी गांव जिराजपुर माजरा भटपुरा थाना अहमदगढ जनपद बुलंदशहर हाल निवासी अवन्तिका गेट के पास नर्सरी थाना कविनगर गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से एक किलो 190 ग्राम नशीला पाउडर (एल्प्रोजोलम) नाजायज बरामद हुआ। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कविनगर पर मु0अ0सं0 1201/2022 धारा 8/21 NDPS ACT पंजीकृत किया गया।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जो अवैध नशीले पाउडर की तस्करी कर अवैध धन अर्जित करता है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

रामनिवास पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी गांव जिराजपुर माजरा भटपुरा थाना अहमदगढ जनपद बुलंदशहर हाल निवासी अवन्तिका गेट के पास नर्सरी थाना कविनगर गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष।

बरामदगी का विवरण -

190 ग्राम नशीला पाउडर (एल्प्रोजोलम) नाजायजा

अभियुक्त रामनिवास का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 1201/22 धारा 8/21 NDPS Act थाना कविनगर गाजियाबाद।
अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. SHO अमित कुमार थाना कविनगर गाजियाबाद।
2. उ0नि0 कर्मवीर सिंह थाना कविनगर गाजियाबाद।
3. का0 3854 अनोज यादव थाना कविनगर गाजियाबाद
4. का0 599 कौशल कुमार थाना कविनगर गाजियाबाद।

थाना कविनगर पुलिस द्वारा मोबाइल चोरी करने वाले अभियुक्त को 12 घण्टे के अंदर चोरी के मोबाइल सहित किया गिरफ्तार



श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा चोरी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर, श्रीमान क्षेत्राधिकारी कविनगर के कुशल निर्देशन में व प्रभारी थाना कविनगर के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा थाना कविनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1169/22 धारा 379/411 भादवि का अनावरण करते हुए अभियुक्त सरफराज पुत्र इकबाल निवासी अर्थला गली नं0 7 अजीत का किराये का मकान थाना साहिबाबाद गाजियाबाद मूल निवासी मरकज मस्जिद के पास सिकन्द्राबाद जिला बुलंदशहर उम्र 24 वर्ष को चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर दिनांक 31.08.2022 समय 19.45 बजे हापुड चुंकी से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित चोरी का मोबाइल टैक्नो कम्पनी का बरामद हुआ, अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

सरफराज पुत्र इकबाल निवासी अर्थला गली नं0 7 अजीत का किराये का मकान थाना साहिबाबाद गाजियाबाद मूल निवासी मरकज मस्जिद के पास सिकन्द्राबाद जिला बुलंदशहर उम्र 24 वर्ष

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 1169/22 धारा 379/411 भादवि थाना कविनगर जिला गाजियाबाद
2. मु0अ0सं0 2608/17 धारा 379/411 भादवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।
3. मु0अ0सं0 3296/17 धारा 392/411 भादवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।
4. मु0अ0सं0 3298/17 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।

बरामदगी -

चोरी का मोबाइल फोन टैक्नो कम्पनी का मु0अ0सं0 1169/22 धारा 379/411 भादवि से सम्बन्धित।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. SHO अमित कुमार थाना कविनगर गाजियाबाद
2. म0उ0नि0 तरुणा सिंह थाना कविनगर गाजियाबाद
3. है0का0 37 अनिल कुमार थाना कविनगर गाजियाबाद
4. का0 3200 हरेन्द्र थाना कविनगर गाजियाबाद।